नियमावली / प्राथमिकता / फैक्स
संख्या–1041 / एक–9–2016–रा–9

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद,त0ना0त0 अनु0–3,
उ0प्र0,लखनऊ ।

राजस्व अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 03 मई, 2016

विषय : उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2016 ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–1006 / 3–त0ना0त0–487 / 94,दिनॉक 22.02.2016 का कृपया संदर्भ गृहण करने का कष्ट करें,जिसके द्वारा शासन से उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली,1966 के नियम–12 एवं नियम–15 में संशोधन किये जाने हेतु, उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2016 को प्रख्यापित किये जाने का अनुरोध किया गया ।

2– इस सम्बंध में **उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2016 की हिन्दी /अंग्रेजी की दिनॉक 03 मई,2016 को प्रख्यापित** प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2016 के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव

संख्या–1040(1) / एक–9–2016–रा–9,तद्दिनॉकित,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उ0प्र0 अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2016 की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–विशेष सचिव,नियुक्ति अनुभाग–3,उ0प्र0 शासन ।

2– सचिव,लोक सेवा आयोग,उ0प्र0,इलाहाबाद को उनके पत्र संख्या–265 / 15 / 01 / रूल्स / एस–10 / 2016–17,दिनॉक 25 अप्रैल,2016 के कम में।

3–कार्मिक अनुभाग–1,उ0प्र0 शासन ।

4–उप निदेशक,राजकीय मुद्रणालय,उ0प्र0,ऐशबाग,लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी / अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कराकर उसकी 500 प्रतियॉ राजस्व अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

5– गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग–9
संख्या–1050/एक–9–2016–रा–9–3–3(1)/87–टी0सी0–2
लखनऊ : दिनांक 03 मई 2016

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली,1966 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन)नियमावली,2016

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1)यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली,2016 कही जायेगी । (2) इस नियमावली का नियम 2, 30दिसम्बर, 2013 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा और नियम 3 7 फरवरी,1991 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
नियम 12 का प्रतिस्थापन	2.	उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली,1966 जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में विद्यमान नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा,अर्थात् :– परिवीक्षा 12. समय–समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक परिवीक्षा नियमावली,2013 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा : परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप से की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।
नियम 15 का प्रतिस्थापन	3.	उक्त नियमावली में विद्यमान नियम 15 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा,अर्थात् :– स्थायीकरण 15. उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा, यदि– (क) उसने तहसीलदार के लिये विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, (ख) आयुक्त उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दें और आख्या दें कि वह स्थायीकरण के लिये उपयुक्त है, और (ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

आज्ञा से,

(सुरेश चन्द्रा)
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution ,the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.1040/I-9-16-Ra-9- 3-3(1)/87 -TC-2 , dated 3.5.2016 :

GOVERNMENT OF UTTER PRADESH
REVENUE ANUBHAG -9

No.1040 /I-9-16-Ra-9- 3-3(1)/87-TC-2
Dated Lucknow, 3rd. May ,2016

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution ,the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Tehsildar) Service Rules,1966 :

THE UTTAR PRADESH SUBORDINATE REVENUE EXECUTIVE (TEHSILDAR) SERVICE (THIRD AMENDMENT) RULES,2016

Short title and commencement	1.	(1)These rules may be called the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Tehsildar) Service (Third Amendment) Rules,2016. (2)Rule 2 of these rules shall be deemed to have come into force on December 30,2013 and Rule 3 shall be deemed to have come into force on February 7,1991 .
Substitution of rule-12	2.	In the Uttar Pradesh Subordinate Revenue Executive (Tehsildar) Service Rules,1966, hereinafter referred to as the said rules,for existing rule 12,the following rule shall be substituted,namely :- Probation 12. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh Government Servants Probation Rules,2013, as amended from time to time,a person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years: Provided that the appointing authority may allow continuous service rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post,to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.
Substitution of rule-15	3.	In the said rules,for existing rule 15,the following rule shall be substituted,namely :- Confirmation 15. Notwithstanding anything to the contrary contained in the Uttar Pradesh Government Servants Confirmation Rules,1991, a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if- (a) he has passed the departmental examination prescribed for Tehsildar, (b) the Commissioner certifies his integrity and gives a report that he is fit for confirmation, and (c) the appointing authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

By order,

(Suresh Chandra)
Principal Secretary

परिशिष्ट ३

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, १९६६[2]

भाग १

सामान्य

१—संक्षिप्त शीर्षक नाम तथा प्रारम्भ—(१) यह नियमावली "उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, १९६६" कहलायेगी।

(२) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

---

१. उ० प्र० भूलेख (संशोधन) नियमावली, १९८८ द्वारा शब्द "सुपरवाइजर कानूनगो" के स्थान पर शब्द "भूलेख निरीक्षक" रखा गया।

२. यह नियमावली, उत्तर प्रदेश सरकारी गजट के भाग १-क में दिनांक ३० अप्रैल, १९६६ को प्रकाशित हुई।

२—सेवा की प्रास्थिति तथा नियंत्रण – उत्तर प्रदेश अधीनस्थ कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा राजपत्रित प्रास्थिति की एक अधीनस्थ सेवा है। यह राजस्व परिषद् के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगी।

प्रतिबन्ध यह है कि परिषद् पदच्युति, हटाने या पदावनति को छोड़कर स्थानान्तरण करने, तैनात करने तथा दण्ड देने के सम्बन्ध में अपने किन्हीं कृत्यों तथा अधिकारों को अपने अधीनस्थ किसी प्राधिकारी या प्राधिकारियों को प्रतिनिहित कर सकती है।

३—परिभाषायें—(१) विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में :

(क) 'परिषद्' का तात्पर्य राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश से है;
(ख) 'आयोग' का तात्पर्य लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से है;
(ग) 'आयुक्त' का तात्पर्य किसी डिवीजन के आयुक्त से है;
(घ) 'संविधान' का तात्पर्य भारत के संविधान से है;
(ङ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;
(च) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त राज्य सेवक से है;
(छ) 'राज्य सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है; और
(ज) 'सेवा' का तात्पर्य प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा से है।

भाग २
संवर्ग

४—सेवा के पदों की संख्या—(१) सेवा के पदों की और उसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।

(२) सेवा के पदों की और उसके अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार के पदों की स्थायी संख्या, जब तक कि उप-नियम (१) के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें, निम्नलिखित होगी :

(१)	जिलों के लिये स्वीकृति सामान्य कर्मचारी वर्ग ...	२२५
(२)	विविध तथा विशेष पद (इसके अन्तर्गत भूमि अर्जन उप-अधिकारी के ७ पद, तहसीलदार, आयकर, कानपुर का १ पद, सहायक सचिव, श्री बद्रीनाथ टेम्पिल कमेटी का १ पद और सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी का पद भी सम्मिलित है) ...	१०
(३)	प्रति-नियुक्त कर्मचारी [उपर्युक्त [१)] के १० प्रतिशत से ...	२२
(४)	अवकाश कर्मचारी [उपर्युक्त (१) और (२)] के १० प्रतिशत से ...	२३
	योग ...	२८०

प्रतिबन्ध यह है कि राज्यपाल, समय-समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों को सृजित करके जो आवश्यक समझे जायें, संवर्ग के पदों की संख्या बढ़ा सकते हैं।

प्रतिबन्ध यह भी है कि परिषद् किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकती है अथवा राज्यपाल उसे स्थगित रख सकते हैं और ऐसा किये जाने पर कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

भाग ३
भर्ती

५—भर्ती के स्रोत—सेवा में भर्ती :

(१) नायब तहसीलदारों,
(२) कुमायूं डिवीजन के पेशकारों,
(३) भूलेख निरीक्षकों, तथा प्रशिक्षकों, और
(४) सहायक भूलेख अधिकारी की पदोन्नति करके की जायगी।

भाग ४
अर्हतायें

६—**अर्हतायें**—सेवा में भर्ती के प्रयोजनों के लिए पूर्णतया योग्यता के आधार पर चयन ऐसे समस्त स्थायी नायब तहसीलदारों, कुमायूं डिवीजन के पेशकारों, भूलेख निरीक्षकों या प्रशिक्षकों तथा सहायक भूलेख अधिकारियों में से किया जायगा, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को जिस वर्ष चयन किया जाय, मौलिक या स्थानापन्न रूप से कुल मिलाकर इनमें से एक या एक से अधिक पद पर या किसी समकक्ष या उच्च वेतनमान में कम से कम सात वर्ष कार्य किया हो।

भाग ५
भर्ती के लिए प्रक्रिया

७—**नियुक्तियों की संख्या जो निर्धारित की जायगी**—परिषद् प्रत्येक वर्ष पहली मार्च तक सेवा में उन रिक्तियों की संख्या की सूचना राज्य सरकार को देगी जिनकी अगले वर्ष होने की आशा हो और तब की जाने वाली नियुक्तियों की संख्या राज्यपाल निश्चित करेंगे।

८—पदोन्नति के लिये अभ्यर्थियों का चयन करने में उनके सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का ध्यान दिया जायगा :

(१) व्यक्तित्व तथा चरित्र।
(२) बुद्धि, कार्यपालन तथा स्फूर्ति जिसके अन्तर्गत घोड़े पर दौरा करने की योग्यता भी है।
(३) प्रभावशाली पर्यवेक्षण की क्षमता।
(४) लगातार कठिन तथा ठीक-ठीक कार्य करने की क्षमता,
(५) उत्तरदायित्व लेने की क्षमता,
(६) पहल शक्ति, उत्साह तथा विश्वासनीयता।
(७) सत्यनिष्ठा तथा भ्रष्टाचार दूर करने का प्रयास; और
(८) पूर्व सेवा वृत्ति।

६—चयन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया होगी :

(१) **तहसीलदार के पद पर पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिये परिषद् द्वारा योग्यता सूची तैयार किया जाना**—परिषद् योग्यता क्रम से उन अभ्यर्थियों में से, जो तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र हों, सबसे उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करेगी। इस सूची में नामों की संख्या साधारणतया उन मौलिक रिक्तियों की दुगनी होगी जो वर्ष के दौरान में भरी जाने वाली है।

(२) **परिषद् द्वारा अस्थायी तथा स्थानापन्न पदोन्नति के लिये अनुपूरक सूची तैयार की जायगी**—परिषद् योग्यता-क्रम से, एक अनुपूरक सूची भी तैयार करेगी, जिसमें स्थानापन्न या अस्थायी पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे गये कर्मचारियों के नाम होंगे। इस सूची में नामों की संख्या साधारणतया उन स्थानापन्न या अस्थायी रिक्तियों की सम्भाव्य संख्या के बराबर होगी जिनकी वर्ष के दौरान में होने की आशा हो।

(३) परिषद् उपर्युक्त खण्ड (१) और (२) के अधीन तैयार की गई दो सूचियाँ और नियम (१०) के खण्ड (ख) में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार तैयार की गई पदक्रम सूची, जिसमें ज्येष्ठ कर्मचारियों को यदि कोई हो, अतिक्रमण करने के कारण दिये गये हों, और सभी पात्र कर्मचारियों को चरित्र पंजियां आयोग को भेजेगी। आयोग सभी पात्र अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगा और नियम ६ (१) तथा (२) में अभिदिष्टि सूचियों में से किसी में भी ऐसे कर्मचारियों के नाम, यदि कोई हों, बढ़ा सकता है, जो चयन समिति द्वारा विचार किये जाने के योग्य हों। आयोग तब पत्रादि परिषद् को लौटा देगा और यह भी बतायेगा कि उनकी राय में चयन समिति द्वारा सभी अभ्यर्थियों या उनमें से कितने अभ्यर्थी का साक्षात्कार किया जाय।

(४) तत्पश्चात् परिषद् आयोग के परामर्श से एक दिनांक निश्चित करेगी, जब एक चयन समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

(१) आयोग का प्रतिनिधि, जो समिति की अध्यक्षता करेगा,

(२) राजस्व परिषद् का अध्यक्ष या कोई सदस्य,

(३) किसी डिवीजन का आयुक्त जिसे सरकार नाम निर्दिष्ट करे।

समिति ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी, जिनके नाम आयोग द्वारा तैयार की गई उक्त सूचियों में दिए गये हों और उनमें से ऐसे अभ्यर्थियं का साक्षात्कार करेगी जो आयोग द्वारा उपर्युक्त खण्ड (३) के अधीन बता गये हों।

(५) समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के नामों की सूचियों को आयोग का प्रतिनि आयोग के समक्ष उन्हें रखने के लिए ले जायेगा और तत्पश्चात् आयोग परि को अपनी अन्तिम सिफारिशें भेजेगा।

(६) परिषद् उपर्युक्त खण्ड (५) के अधीन आयोग से प्राप्त प्रथम सूची से उ अभ्यर्थियों को लेगी जितनी स्थायी रिक्तियां हों, और तत्पश्चात् उनके ना

की मूल सेवा में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार फिर से क्रमबद्ध करेगी और उनकी नियुक्ति मौलिक रिक्तियों में की जायेगी। प्रथम सूची के शेष नामों और द्वितीय सूची के नाम से मिलकर बनी सूची 'प्रवर सूची' समझी जायगी जो योग्यता क्रम से तैयार की जायगी। कर्मचारियों को स्थानापन्न और अस्थायी रिक्तियों में उसी क्रम में जिस क्रम से उनके नाम उपर्युक्त 'प्रवर सूची' में रक्खे गये हों, वर्ष के दौरान में जैसे और जब रिक्तियां हों, नियुक्त किया जायगा। यह प्रवर सूची केवल एक वर्ष के लिए अथवा ऐसे समय तक के लिए मान्य रहेगी जब तक कि अगले चयन के समय उस पर पुनर्विचार न हो जाय।

(७) यदि लगातार दो वर्षों तक स्थायी रिक्तियाँ न हों और केवल अस्थायी या स्थानापन्न रिक्तियों के लिये चयन करना आवश्यक हो जाय तब भी ऊपर नियत प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा।

भाग ६

नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

१०—**ज्येष्ठता**—सेवा में ज्येष्ठता, मौलिक रिक्त में नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निर्धारित की जायेगी।

प्रतिबन्ध यह है कि : (क) एक ही सेवा से एक ही दिनांक को चुने गये अभ्यर्थियों की पारस्परिक श्रेणी उक्त सेवा में उनकी ज्येष्ठता के अनुसार होगी, और

(ख) विभिन्न सेवाओं से एक ही दिनांक को चुने गये अभ्यर्थियों की श्रेणी उनकी अपनी-अपनी सेवाओं में मौलिक नियुक्ति के अनुसार होगी और यदि मौलिक नियुक्ति का दिनांक एक ही होगा तो उनके मौलिक वेतन के अनुसार होगी।

११—**नियुक्ति**—(१) परिषद् सेवा में मौलिक रिक्तियाँ होने पर नियम ८ (६) के अधीन तैयार की गयी प्रथम सूची से उन पर नियुक्तियाँ करेगी।

(२) (क) ऐसी समस्त अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों की पूर्ति जिनकी तीन महीने अधिक चलने की सम्भावना न हों, सम्बद्ध जिलाधिकारी नियम ३ (६) के अधीन तैयार की गयी 'प्रवर सूची' से कर सकता है, किन्तु यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो सबसे उपयुक्त कर्मचारी जो नियमावली के अधीन पदोन्नति के लिये पात्र हों, नियुक्त किया जा सकता है।

(ख) तीन महीने से अधिक किन्तु एक वर्ष से अधिक, अनधिक अवधि के लिये चलने वाली ी समस्त रिक्तियों की पूर्ति जिलाधिकारी की रिपोर्ट पर परिषद् 'प्रवर सूची' से करेगी और ! यह सूची निःशेषित हो जाय तो इस नियमावली के अधीन भर्ती के पात्र कर्मचारियों में से ेगी। किन्तु साथ ही साथ ऐसी नियुक्ति करने पर आयोग को भी सूचना दी जायगी जिसमें ष्ट रूप से यह उल्लिखित होगा कि नियुक्ति इस प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन की गयी है।

(३) इस नियमावली के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियाँ सरकारी गजट में विज्ञापित जायेंगी।

१२—**परिवीक्षा अवधि**—मौलिक रिक्तयों में अथवा उनके प्रति, नियुक्ति किये जाने पर । व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे।

प्रतिबन्ध यह है कि परवीक्षा अवधि की संगणना करने में सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर अथवा किसी उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा पर विचार किया जा सकता है ।

१३—परिवीक्षा अवधि का बढ़ाया जाना—(१) परिषद् परिवीक्षा अवधि की एक वर्ष से अनधिक और अवधि के लिए बढ़ा सकती है । परिषद् द्वारा बढ़ायी गयी प्रत्येक परिवीक्षा अवधि के आदेश में वह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिए वह बढ़ायी गयी हो ।

(२) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि में या उसके अन्त में किसी समय यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ है अथवा या यह अन्य प्रकार से संतुष्ट करने में असफल रहा है, तो उसे उस पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पद से उसकी पदोन्नति की गयी हो ।

१४—विभागीय परीक्षा—(१) प्रत्येक व्यक्ति से चाहे वह मौलिक रिक्त में अथवा अस्थायी या स्थानापन्न रूप में नियुक्ति किया जाय, यह अपेक्षा की जायगी कि वह ऐसा प्रशिक्षण ले और ऐसे विषयों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ले जो राज्यपाल, समय-समय पर नियत करें ।

प्रतिबन्ध यह है कि यह शर्त उस व्यक्ति की दशा में लागू न होगी जो स्थानापन्न या अस्थायी रूप मे एक वर्ष से कम अवधि के लिए नियुक्त किया जाय ।

प्रतिबन्ध यह भी है कि एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए अस्थायी या स्थानापन्न रूप से नियुक्त व्यक्ति से यह अपेक्षा न की जायगी कि वह ऐसी परीक्षा में बैठे जो उसकी ऐसी नियुक्ति के दिनांक से छः महीने के भीतर की जाय ।

(२) प्रत्येक ऐसा अभ्यर्थी प्रत्येक ऐसी अनुवर्ती परीक्षा में जिसमें उससे उप-नियम (१) के अधीन बैठने की अपेक्षा की जाय तब तक बैठेगा जब तक कि वह उत्तीर्ण न हो जाय अथवा जब तक कि वह बीमारी के कारण बैठ न सके अथवा परिषद् द्वारा तीन वर्ष की सीमा तक उसे विशेष रूप से मुक्त न कर दिया जाये । बीमारी की दशा में चिकित्सा प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा ।

टिप्पणी—विभागीय परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा नियम उत्तर प्रदेश में विभागीय परीक्षाओं का संचालन और कनिष्ठ अधिकारियों का प्रशिक्षण नियमावली "रूल्स फार द कन्डक्ट आफ डिपार्टमेंटल इक्जामिनेशन एण्ड द ट्रेनिंग आफ जूनियर-आफिसर्स इन उत्तर प्रदेश" नामक पुस्तिका में दिये हैं ।

१५—स्थायीकरण—परिवीक्षाधीन व्यक्ति यथास्थिति अपनी परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि के अन्त में स्थायी कर दिया जायगा, यदि

(१) उसने तहसीलदार की विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो;

(२) आयुक्त यह रिपोर्ट दे कि वह स्थायी किये जाने के लिये उपयुक्त है और उसकी सत्य-निष्ठा पर आपत्ति नहीं की जा सकती है; तथा

(३) स्थायीकरण के लिये उसकी उपयुक्तता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाय ।

१६—प्रत्यावर्तनों तथा परिवर्तनों की सूची—जिलाधिकारी, तहसीलदारों में होने वाली सभी प्रत्यावर्तनों तथा परिवर्तन की सूचना जैसे ही वे हों, आयुक्त तथा परिषद् को ऐसी रीति से देगा जो परिषद् नियत करें ।

भाग ७

वेतन

१७—**वेतन**—सेवा के संवर्ग में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति के लिये चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप में नियुक्त हो या अस्थायी रूप में, अनुमन्य वेतन मान निम्नलिखित होगा :

१ अप्रैल, १९४७ को या उसके पश्चात् किन्तु १५ जनवरी, १९५९ ई० के पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के लिये :

२००-१०-२५०-द० रो० १५-४०० रु० ।

१५ जनवरी, १९५९ ई० को या उसके पश्चात् किन्तु १ अप्रैल, १९६५ के पूर्व नियुक्त व्यक्तियों के लिये :

२००-१०-२५०-द०रो०-१५-३२५-द० रो० १५-४०० रु० ।

१ अप्रैल, १९६५ ई० को या उसके पश्चात् नियुक्त व्यक्तियों के लिये :

२२५-१५-३०० द० रो०-१५-३६०-३८०-द० रो०-२०-५०० रुपया ।

टिप्पणी—मंहगाई भत्ते की दर समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार होगी ।

१८—**दक्षता रोक पार करने के लिये मानदन्ड**—किसी भी तहसीलदार को वेतन के कालमान में दक्षता रोक पार करने की तब तक अनुमति न दी जायगी जब तक कि उसके सेवा वृत्त से यह न पाया जाय कि उसने विशिष्ट योग्यता और पूरी ईमानदारी के साथ अविचलित रूप से कार्य किया है ।

भाग ८

अन्य उपबन्ध

१९—**पक्ष समर्थन**—भर्ती के लिए इस नियमावली के अधीन अपेक्षित सिफारिश से भिन्न किसी भी सिफारिश पर, चाहे वह लिखित हो अथवा मौलिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अन्य उपायों द्वारा अपनी अभ्यर्थता के लिए समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास, सेवा में नियुक्त किये जाने के लिये उसे अनर्ह कर देगा ।

२०—**वेतन, छुट्टी, भत्ते तथा पेंशन आदि का विनियमन**—ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विशेष रूप से इस नियमावली या तदधीन दिये गये या जारी किये गये आदेशों अथवा विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, उन विनियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगे जो उत्तर प्रदेश शासन के सम्बन्ध में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू होते हों ।

२१—इस नियमावली में किसी बात के होते हुये ऐसे अधिकारी, जो किसी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहे हों जो १५ अगस्त, १९४७ ई० के पश्चात् उत्तर प्रदेश राज्य में विलीन हो गया हो अथवा जो इसके पश्चात् विलीन हो जाय, उस क्षेत्र के विलीन होने पर आयोग के परामर्श से संवर्ग के पदों पर नियुक्त किये जा सकते हैं और इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को इस नियमावली के अनुसार सेवा में नियुक्त किया गया समझा जायगा ।

२२—**उन मामलों में जिनमें अनुचित कष्ट हो, सेवा नियमावली में शिथिलता**—यदि राज्यपाल को यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी विषय के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामलों में अनुचित कष्ट होता है तो वे आयोग के परामर्श से भले ही उस मामले में लागू होने वाले नियमों में कोई बात दी हो, आदेश द्वारा, उन नियमों की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए अभिमुक्त कर सकते हैं, जिन्हें वे उस मामले को ठीक और उचित रीति से निपटाने के लिये आवश्यक समझें।

२३—**निर्वचन**—यदि इस नियमावली के निर्वचन के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठे तो उसे राज्य सरकार के राजस्व विभाग को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर निर्णय अन्तिम होगा।

———

अनुलग्नक-5

उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-9
संख्या-3-3111/07-72-रा0-9
लखनऊ: दिनांक: 9-7-, 1990

अधिसूचना

प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1966 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1990 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-5 का प्रतिस्थापन

2- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1966, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायगा, अर्थात्:-

भर्ती का स्रोत

"5- सेवा में भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से पदोन्नति द्वारा की जायगी:-

(1) 89 प्रतिशत रिक्तियां नायब तहसीलदारों में से;

(2) 4 प्रतिशत रिक्तियां कुर्क अमीन और ... की वार्षिक लिपिकों के पेशकारों में से;

(3) 7 प्रतिशत रिक्तियां सदर कानूनगो (सहायक भूलेख अधिकारी) में से;

टिप्पणी:- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायगा।"

नियम-6 का प्रतिस्थापन

3- उक्त नियमावली में, नियम-6 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रख दिया जायगा, अर्थात्-

पात्रता

"6- सेवा में भर्ती के प्रयोजन के लिए योग्यता के आधार पर पात्र, नियम 5 में निर्दिष्ट ऐसे स्थायी [illegible]

में से किया जायेगा जिन्होंने उस वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष चयन किया जाय, अपने मूल पद पर मौलिक और/या स्थानापन्न रूप में कुल मिलाकर कम से कम पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।"

नियम-7 का प्रतिस्थापन

4- उक्त नियमावली में, नियम -7 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

रिक्तियों का अवधारण

"7- परिषद भर्ती के वर्ष के दौरान नियम -5 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम -5 के नीचे दी गयी टिप्पणी के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।"

नियम-8 का निकाला जाना

5- उक्त नियमावली में नियम -8 निकाल दिया जायेगा।

नियम-9 का प्रतिस्थापन

6- उक्त नियमावली में, नियम -9 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

"9- पदोन्नति द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (परामर्श पदोन्नति) (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार योग्यता के आधार पर की जायगी।"

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार)

सचिव।

ANNEXURE-10 (33)

उत्तर प्रदेश सरकार
राजस्व अनुभाग -9
संख्या-3-3111/97-रा.-9
लखनऊ: दिनांक 22 मार्च 1999

अधिसूचना
प्रकीर्ण

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1966 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी
(तहसीलदार) सेवा (द्वितीय संशोधन)
नियमावली, 1999

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1999 कही जायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

नियम-6 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ राजस्व कार्यकारी (तहसीलदार) सेवा नियमावली, 1966 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम-6 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायगा, अर्थात :-

स्तम्भ-1 वर्तमान नियम	स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सेवा में भर्ती के प्रयोजन के लिये योग्यता के आधार पर चयन नियम-5 में विनिर्दिष्ट ऐसे स्थायी कार्मिकों में से किया जायेगा जिन्होंने उस वर्ष [illegible]	पात्रता-6 सेवा में भर्ती के प्रयोजन के लिये योग्यता के आधार पर चयन, नियम-5 में विनिर्दिष्ट ऐसे स्थायी कार्मिकों में से किया जायगा जिन्होंने उस वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष चयन किया जाय, अपने मूल पद पर मौलिक और/या स्थानापन्न रूप में कुल मिलाकर कम से कम पाँच वर्ष की सेवा

Tehseeldar Service Rule

(34)

कुल मिलाकर कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।

पूरी कर ली हो :

परन्तु यदि पदोन्नति के लिए पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हो तो पात्रता का क्षेत्र, नियम-5 में विनिर्दिष्ट ऐसे स्थायी कार्मिकों को सम्मिलित करके, जिन्होंने उस वर्ष की पहली जुलाई को जिस वर्ष चयन किया जाय अपने मूल पद पर मौलिक और / या स्थानापन्न रूप में कुल मिलाकर कम से कम चार वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, बढ़ाया जा सकता है ।

आज्ञा से,

। पी. सी. शर्मा ।
प्रमुख सचिव ।